

सिख
हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुकम की तामील में
जारी हुए

16.04.25

पत्रावली पेश हुई।
वादी के वकील उपस्थित। प्रतिवादीगण वकील अनुपस्थित।
विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हो चुका है, जिस पर वादी के अधिवक्ता की बहस सुनी गई एवं पत्रावली व प्राप्त प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। प्रस्ताव राजस्व रिकार्ड में अंकित खातेदारान के हिस्सानुसार प्राप्त हुए हैं तथा वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में माफिक विभाजन प्रस्ताव वादग्रस्त भूमि विभाजित किये जाने हेतु सहमति व्यक्त की है।
लिहाजा वादीनी का वाद स्वीकार कर डिक्री दी जाती है कि काठाड़ी तहसील सिवाना की खसरा संख्या 820/349 रकबा 2.0882 हैक्टेयर भूमि निम्नानुसार पक्षकारान के नाम के आगे अंकित अनुसार पृथक खातेदारी में घोषित की जाती है।

क.सं.	खातेदार का नाम व पता	खसरा नम्बर	रकबा (हैक्टेयर में)	बरंग
1	अगासकंवर पत्नी लाबूसिंह जाति राजपूत सा.देह खातेदार	820/349	0.5180	पीला
	योग	1	0.5180	पीला
2	शैलकंवर पत्नी बाबूसिंह जाति राजपूत सा.देह खातेदार	820/349	0.2590	लाल
	योग	1	0.2590	लाल
3	हीरोकंवर पत्नी बागियासिंह जाति राजपूत सा.देह खातेदार	820/349	0.1942	हरा
	योग	2	0.0648	हरा
4	खंगीया पुत्र मोटा हिस्सा 1/2 जाति रबारी, मांगीया पुत्र मोटा हिस्सा 1/2 जाति रबारी सा.देह खातेदार	820/349	1.036	भूरा
	योग	1	1.036	भूरा
5	अगासकंवर पत्नी लाबूसिंह हिस्सा 1/4 जाति राजपूत सा.देह खातेदार, खंगीया पुत्र मोटा हिस्सा 1/4 जाति देवासी सा.देह खातेदार, मांगीया पुत्र मोटा हिस्सा 1/4 जाति देवासी सा.देह खातेदार, शैलकंवर पत्नी बाबूसिंह हिस्सा 1/8 जाति राजपूत सा.देह खातेदार, हीरोकंवर पत्नी बागियासिंह हिस्सा 1/8 जाति राजपूत सा.देह खातेदार	820/349	0.0162	काला
	योग	1	0.0162	काला

तहसीलदार सिवाना को इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद एवं लट्ठा नक्शा में दुरुस्ती सुनिश्चित करने के आदेश दिये जाते हैं। विभाजन प्रस्ताव के संलग्न प्राप्त नक्शा निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो।
निर्णय आज दिनांक 16.04.2025 को सर्रे इजलास सुनाया गया।

पत्रावली फ़ैसल सुमार होकर दाखिल हो।


सहायक कलक्टर
(S.D.O.) सिवाना



डिक्री व मुकदमे इब्तदाई

(ओ. 20 रू. 6-7 जाबा दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'D'-1)

अज अदालत सहायक कलक्टर (S.D.O.) मुकाम सिवाना (बालोतरा) व
बइजलास सुरेन्द्र सिंह खंगारोत आर.ए.एस.

वादीगण :-

1. हीरोकुंवर पत्नी बगीयासिंह जाति राजपूत निवासी काठाडी तहसील सिवाना जिला बालोतरा
2. अंगासकंवर पत्नी लाबूसिंह जाति राजपूत निवासी काठाडी तहसील सिवाना जिला बालोतरा
3. शैलकंवर पत्नी बाबूसिंह जाति राजपूत निवासी काठाडी तहसील सिवाना जिला बालोतरा

बनाम

प्रतिवादीगण:-

1. खंगीया पुत्र मोटा जाति रबारी निवासी काठाडी तहसील सिवाना जिला बालोतरा
2. मोगीया पुत्र मोटा जाति रबारी निवासी काठाडी तहसील सिवाना जिला बालोतरा
3. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारक तहसीलदार सिवाना

वाद अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

मुकदमा नंबर :-39/2023

निर्णय दिनांक :- 16.04.25

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू मिनजानिव मुद्दई श्री ललित जांगिड व गणपतसिंह अधिवक्ता मिनजानिव पेश होकर हुकम दिया जाता है कि वादी का वाद स्वीकार कर डिक्री दी जाती है कि जाकर ग्राम काठाडी तहसील सिवाना की खसरा संख्या 820/349 रकबा 2.0882 हैक्टेयर भूमि का निम्नानुसार पक्षकारान के नाम के आगे अंकित अनुसार पृथक खातेदारी में घोषित की जाती है:-

क. सं.	खातेदार का नाम व पता	खसरा नम्बर	रकबा (हैक्टेयर में)	बरंग
1	अंगासकंवर पत्नी लाबूसिंह जाति राजपूत सा.देह खातेदार	820/349	0.5180	पीला
	योग	1	0.5180	पीला
2	शैलकंवर पत्नी बाबूसिंह जाति राजपूत सा.देह खातेदार	820/349	0.2590	लाल
	योग	1	0.2590	लाल
3	हीरोकंवर पत्नी बागियासिंह जाति राजपूत सा.देह खातेदार	820/349	0.1942	हरा
	योग	820/349	0.0648	
	योग	2	0.2590	हरा
4	खंगीया पुत्र मोटा हिस्सा 1/2 जाति रबारी,मांगीया पुत्र मोटा हिस्सा 1/2 जाति रबारी सा.देह खातेदार	820/349	1.036	भूरा
	योग	1	1.036	भूरा
5	अंगासकंवर पत्नी लाबूसिंह हिस्सा 1/4 जाति राजपूत सा.देह खातेदार,खंगीया पुत्र मोटा हिस्सा 1/4 जाति देवासी सा.देह खातेदार,मांगीया पुत्र मोटा हिस्सा 1/4 जाति देवासी सा.देह खातेदार,शैलकंवर पत्नी बाबूसिंह हिस्सा 1/8 जाति राजपूत सा.देह खातेदार,हीरोकंवर पत्नी बागियासिंह हिस्सा 1/8 जाति राजपूत सा.देह खातेदार	820/349	0.0162	काला
	योग	1	0.0162	काला

तहसीलदार सिवाना को इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद एवं लट्ठा नक्शा में दुरुस्ती सुनिश्चित करने के आदेश दिये जाते हैं। विभाजन प्रस्ताव के संलग्न नक्शा निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 16.04.2025 को जारी की गई।

(सुरेन्द्र सिंह खंगारोत)

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) सिवाना

राजस्थान सरकार

NIC-BHUNAKSHA


खसरा नक्शा एवं जमाबंदी(प्रतिलिपि)

दिनांक : 14/12/2024 11:32:14 AM

जिला : बाड़मेर
धारी हल्का : काठाड़ी

तहसील : सिवाना
ग्राम : काठाड़ी

भू. अ. नि. क्षेत्र : रमणीया



खसरा संख्या : 820/349 क्षेत्रफल : 2.0882 Hectare खाता संख्या : 467 पुस्तिका संख्या : 306

भूमि किस्म [क्षेत्रफल लगान] : धोरा [2.0882, 2.45]

- 1.) अंग्रासकंवर पत्नि लाबूसिंह हिस्सा- 1/4 जाति- राजपूत सा. देह खातेदार
- 2.) खंगीया पुत्र मोटा हिस्सा- 1/4 जाति- रबारी सा. देह खातेदार
- 3.) मोगीया पुत्र मोटा हिस्सा- 1/4 जाति- रबारी सा. देह खातेदार
- 4.) शैलकंवर पत्नि बाबूसिंह हिस्सा- 1/8 जाति- राजपूत सा. देह खातेदार
- 5.) हीरोकुंवर पत्नि बगियासिंह हिस्सा- 1/8 जाति- राजपूत सा. देह खातेदार

31/11/2024

तहसीलदार (भू.अ.) सिवाना



सहायक कलक्टर



सहायक कलक्टर

सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर एवं सील

नोट :-

1. यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है।
2. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नहीं किया जा सकता है।
3. प्रविष्टियों में संशोधन/सत्यापित प्रतिलिपि हेतु सम्बंधित जिला/तहसील कार्यालय में संपर्क करें। ULPIN no : null

P-35 क्रमांक...58...बर दर्श कर
प्रतिलिपि जारी की गई।

14.12.2024
पटवारी (भू. अ.) काठाड़ी